



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2009/चैत्र 18, 1931

No. 588]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2009/CHAITRA 18, 1931

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2009

का.आ. 929(अ).—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, भारत की जनगणना 2011 का पूर्व-परीक्षण करने के लिए उक्त अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करती है। पूर्व-परीक्षण का कार्य सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 28 जून, 2009 से 17 अगस्त, 2009 तक किया जाएगा।

[फा. सं. 9/7/2009-सीडी (सेन)]

देवेन्द्र कुमार सीकरी, भारत के महारजिस्ट्रार
एवं जनगणना आयुक्त

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2009

S.O. 929(E).—In exercise of the powers conferred by Section 17A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of pre-test of Census of India 2011. The pre-test shall be conducted from 28th June, 2009 to 17th August, 2009 in all the States and Union Territories.

[F. No. 9/7/2009-CD (CEN)]

D. K. SIKRI, Registrar General and
Census Commissioner, India